

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

ब्राम्बे, राँची

(भारतीय संसद के अधिनियम, 2009 द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सं.- झा.के.वि./हि.क./रा.का.स./04/2011/298


दिनांक: 16 मई, 2019

अधिसूचना

एतद्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति के सदस्य इस प्रकार हैं --

1. माननीय कुलपति	-	अध्यक्ष
2. कुलसचिव	-	उपाध्यक्ष
3. वित्त अधिकारी	-	सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
5. सभी स्कूलों के डीन	-	सदस्य
6. पुस्तकालयाध्यक्ष	-	सदस्य
7. विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग	-	सदस्य
8. उप-कुलसचिव (प्रशासन)	-	सदस्य
9. जनसंपर्क अधिकारी	-	सदस्य
10. समन्वयक, लुप्तप्राय भाषा केन्द्र	-	सदस्य
11. हिन्दी अधिकारी	-	सदस्य सचिव

यह कुलपति के अनुमोदन पर जारी किया जा रहा है।



प्रभारी हिन्दी अधिकारी व सदस्य सचिव

वितरण -

1. उपरोक्त सभी संबंधित

प्रति: सूचना हेतु

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. सिस्टम एनालिस्ट - विश्वविद्यालय वेबसाइट के लिए
5. संबंधित फाइल
6. गार्ड फाइल


प्रभारी हिन्दी अधिकारी व सदस्य सचिव